

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य विधान परिषद् द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर।

प्रश्न

19-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि उ०प्र० में नदियों से भू-तत्व एवं खनिजों की निकासी की जाती है ?

(ख) यदि हाँ, तो नदियों से भू-तत्व एवं खनिजों की निकासी की व्यवस्था ठेके के माध्यम से की जाती है ?

(ग) क्या अवैध खनन से नदियों में बाढ़ आदि का खतरा रहता है ?

(घ) यदि हाँ, तो अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेंगे ?

(ङ) यदि हाँ, तो कब तक ?

(च) यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। बालू या मौरम या बजरी या बोल्टर या इनमें से जो भी मिली जुली अवस्था में हो, और नदी तल में अनन्य रूप से पाया जाता हो, उसकी निकासी नदी तल से की जाती है।

नदी तल से होने वाली उक्त निकासी उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में प्राविधानित व्यवस्थान्तर्गत ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से स्वीकृत परिहार के अनुसार किया जाता है।

जी हाँ।

अवैध खनन किया जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित है। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में प्राविधानित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।